पंचम
ग्रामीण स्वच्छता संवाद
अक्टूबर 2014

डोडी ने कायम की स्वच्छता की मिसाल

सरपंच लखनलाल ने किए विषेष प्रयास। 299 घरों हुआ शौचालय का निर्माण

आष्टा। विकास खण्ड के डोडी गांव में पिछले छह महीनों में स्वच्छता को लेकर अनूठा बदलाव आया। आज यहां के 299 घरों में शौचालय हैं, जिससे यह गांव खुले में सोच से मुक्ति की ओर अग्रसर है।

छह महीने पहले यहां ज्यादातर घरों में शौचालय नहीं थे और लोग खुले में शौच के लिए विवष थे। इससे गांव में गंदगी और बीमारियां फैल रही थीं। इस दषा में निर्मल सीहोर अभियान की टीम ने यहां रात्रि चौपाल का आयोजन किया। रात्रि चौपाल में ग्रामवासियों के साथ ही यहां के सरपंच लखनलाल मेवाड़ा भी शामिल हुए।

इस दौरान गांव में खुले में शौच की स्थिति पर चर्चा हुई। लोगों को यह समझ में आया कि खुले में शौच से गंदगी और बीमारियां तो फैल ही रही है, साथ ही महिलाओं को भी सुबह जल्दी और शाम के बाद अंधेरे में शौच के लिए जाना पड़ता है, जो मर्यादा के विपरीत और स्वास्थ्य की दृष्टि से तकलीफदेह है। अतः चर्चा के दौरान सरपंच श्री लखनलाल ने घर–घर शौचालय निर्माण का संकल्प लिया।

इस संकल्प के बाद गांव में शौचालय निर्माण के लिए अभियान चलाया गया। सरपंच लखनलाल दुकानों और बाजार में आने वाले लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करने लगे। उनके इस अभियान में पंचों और ग्रामवासियों ने भी सक्रिय भागीदारी की।

इसी प्रयास के फलस्वरूप आज 299 घरों में सोख्ता गड्डे वाले शौचालयों का निर्माण हो चुका है और लोग उनका उपयोग करने लगे हैं, जबकि 12 घरों में निर्माण कार्य जारी है। इस तरह कुछ ही दिनों में यह गांव शत प्रतिषत शौचालय का लक्ष्य हासिल करने में सफल होगा।

सरपंच लखनलाल का मानना है कि स्वच्छता के लिए शौचालय के साथ–साथ पानी भी आवष्यक हैं। अतः उन्होंने जनवरी माह में पूरी पंचायत के हर घर में पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प भी लिया। उल्लेखनीय है कि इस पंचायत में डोडी के साथ ही एक और गांव रातीखेड़ा भी शामिल है। इन दोनों ही गावों में पिछले चार सालों से नलजल योजना का कार्य अधूरा पड़ा था। इस काम को पूरा करने के लिए सरंपच लखनलाल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर से सम्पर्क किया और टेंडर जारी करवाकर काम प्रारंभ करवाया। ग्राम रातीखेड़ा में तो 3 प्रतिषत राषि जमा भी हो चुकी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा गांव का सर्वे कर लिया गया है और जल्दी ही नल जल योजना का काम शुरू होने की संभवना है। इससे लोगों को यह उम्मीद बंधी है कि जल्दी की उनकी पंचायत सम्पूर्ण स्वच्छ और साफ पेयजल युक्त पंचायत बन सकेगी।

डोडी में 2 अक्टूबर को मनाया गया खुले में शौच से मुक्ति का उत्सव

डोडी गांव के खुलें में शौच से मुक्त होने का उत्सव गांधी जयंति (2 अक्टूबर) को मनाया गया। इसमें प्रदेष के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिषन की राज्य कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती हेमवती वर्मन शामिल हुई। श्रीमती अरूणा शर्मा ने कहा कि ‘‘डोडी गांव को खुले में सोच की कुप्रवृत्ति से मुक्ति मिली, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अन्य पंचायतो के लिए अनुकरणीय है। श्रीमती हेमवती वर्मन ने गांव को खुले में शोच से मुक्त करने की दिषा में लोगों के प्रयासों सराहना की।

उल्लेखनीय है कि सीहोर जिले में अब तक 46 ग्राम पंचायत, जिसमें 82 ग्राम शामिल है, खुले

में शौच से मुक्त हो चुकी है तथा 34 ग्राम पंचायतों का सत्यापन कर निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2014–15 में 21 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं तथा दिसम्बर 2014 तक 70 गांव खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे।

महिलाओं की पहल से शुरू हुई नल–जल योजना

मोटर और पाईप लाईन की मरम्मत के लिए महिलाओं ने एकत्र किए दस हजार रूपए

नसरूल्लागंज। तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित छापरी गांव में पेयजल की गंभीर समस्या रही है। यहां 141 परिवार निवास करते हैं, जिन्हें दूर से पानी लाना पड़ता था। यद्यपि गांव में नल–जल योजना मौजूद थीं, किन्तु विद्युत मोटर खराब हो जाने तथा मेन्टेनेन्स के अभाव में वह बंद पड़ी थीं। इस दषा में गांव के महिला समूह की सदस्यों ने लोगों से सम्पर्क कर राषि एकत्र की और नलजल योजना फिर से शुरू करवाई।

यहां पानी का मुद्दा उस समय सामने आया जब 23 जून को निर्मल भारत अभियान द्वारा गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया था। रात्रि चौपाल का उद्देष्य ग्राम छापरी के लोगों को व्यक्तिगत् शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करना, ताकि गांव को सम्पूर्ण स्वच्छ बनाया जा सकें।

रात्रि ग्राम चौपाल के दौरान लोगों ने बताया कि गांव में पानी का संकट बहुत गंभीर है और उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। यहां 2 साल पहले नल–जल योजना का निर्माण हुआ था, लेकिन पिछले एक साल से नल–जल योजना बंद है। नल–जल योजना के बंद होने का प्रमुख कारण था टंकी में पानी चढ़ाने वाली मोटर की खराबी। इसके अलावा पूरे गांव में पाइप लाईन होने के बावजूद भी मात्र 15 परिवारों ने ही पूर्व में कनेक्षन लिये थे जिस कारण नल–जल योजना का रखरखाव संभव नहीं था। साथ ही जिन परिवारों में षौचालय निर्माण का काम चल रहा था उन्हें दूर से पानी लाना पड़ रहा था।

रात्रि ग्राम चौपाल में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने के बाद् गांव की कुछ महिलाएं आगे आई और उन्होंने एक समूह बनाया। महिलाओं ने घर–घर जाकर नल–जल योजना फिर से शुरू करने के बारे में बात की। महिलाओं के इस प्रयास से 10,000 रूपए एकत्र हुए। इस राषि से नल जल योजना की विद्युत मोटर को रिपेयर किया गया। इस तरह साल भर से बंद पड़ी नल–जल योजना फिर से शुरू हुई। योजना षुरू होते ही 110 घरों को नल कनेक्षन से जोड़ा गया। साथ ही गांव में सार्वजनिक नल भी लगाए गए। इस तरह आज इस योजना से गांव में शुद्व पेयजल की आपूर्ति हो रही है। हर परिवार द्वारा नियमित रूप से हर महीने पानी का बिल जमा किया जाता है, जिससे नल–जल योजना की सुचारू रूप से देखभाल होती है।

साफ पानी का उपयोग कर रहें भगवतपुर के लोग

विनोद शर्मा द्वारा

इछावर। जल के बिना जीवन अधूरा है। जिस तरह हमें जीवन जीने के लिए हवा की जरूरत है, वैसे ही पानी की जरूरत भी अतिआवष्यक है। किन्तु देष के असंख्य लोगों को मिलने वाला पेयजल पूरी तरह शुद्व नहीं होता है। खुले में शौच का असर पेयजल पर भी पड़ता हैं। यह स्थिति इछावर ब्लाक की ग्राम पंचायत लाउखेड़ी से जुड़े ग्राम भगवतपुर में भी पाई गई थी। किन्तु निर्मल सीहोर अभियान के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव में पानी की जांच करने और लोगों से चर्चा करने के बाद स्थिति में बदलाव आया।

इस गांव में 73 परिवार निवास करते हैं। यहां भगवतपुर में पानी की टंकी के पास चाय की दुकान पर बैठे ग्रामीणों से स्वच्छता पर मीटिंग की, उन्हें बताया कि खुले में षौच करने से हमारा पानी भी दूषित हो रहा है और हो सकता है कि हमारे गांव का हेण्डपम्प का पानी भी दूषित हो गया हो! हम पानी को ऐसे ही देखकर नही बता सकते है कि पानी पीने योग्य है या नही? यह बात सुनकर ग्रामीण मनोहरसिंह और अर्जुनसिंह ने कहां कि स्कूल के पास के हेण्डपम्प पानी की जांच करवाने का सुझाव दिया। अतः पानी का सेम्पल लेकर लोगों के सामने उसकी जांच की गई। यह देखकर लोगों को महसूस हुआ कि वे और उनके बच्चे गंदा पानी पी रहे हैं। इस दषा में पानी में क्लोरीन की गोली मिलकर उपयोग करने की सलाह दी गई।

इस हैण्डपंप के पानी का उपयोग 35 परिवारों द्वारा किया जाता है। अब ये सभी लोग पानी को अच्छी तरह छानकर एवं उसमें क्लोरीन की गोली मिलाकर उपयेाग करते हैं। इस तरह अब लोगों को साफ पानी मिलने लगा है।

मध्यप्रदेष में जारी है विष्व हाथ धुलाई अभियान

स्वच्छता इंसान की जरूरत ही नहीं, बल्कि एक अधिकार भी है, जो उसके बेहतर स्वास्थ्य तथा सम्पूर्ण विकास को सुनिष्चित करती है। मध्यप्रदेष में स्वच्छता को जन–जन का मुद्दा बनाने के लिए सरकार द्वारा विष्व हाथ धुलाई अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान सिर्फ हाथ धोने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छ पेयजल, गांव–मोहल्लों से गंदगी की सफाई और खुले में शौच से मुक्ति जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल है।

भोपाल। प्रदेष के ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा अपने हाथ साबुन से धोने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हेतु मध्यप्रदेष शासन द्वारा हाथ धुलाई अभियान की रूपरेखा बनाई गई है। इसके माध्यम से प्रदेष के करीब 20 लाख लोग 15 अक्टूबर के दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक साबुन से अपने हाथ धोयेंगे। स्वचछ मध्यप्रदेष अभियान की वेबसाईट मे दी गई जानकारी के अनुसार इस अभियान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के विषिष्ट दिषा निर्देषों का पालन करना जरूरी है। जिसके अंतर्गत हाथ धोने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री उपयुक्त गुणवत्ता वाली होगी और निर्धारित तिथि एवं समय पर सभी लोग एक साथ साबुन से हाथ धाएंगे। इसके लिए प्रदेष के स्कूलों में साबुन, पेपर नेपकीन, बाल्टी, मग्गा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, साथ ही पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री स्थानीय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानूनों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेष के ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिषत परिवारों के पास शौचालय नहीं है, जिससे उन्हें खुले में शौच के लिए विवष होना पड़ता है। खुले में शौच के कारण डायरिया, मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियां फैलती है। प्रदेष में लाखों बच्चे पेट के रोग से ग्रसित है और इस बीमारी के कारण कई बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। शौचालय के अभाव में महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्हें अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है तथा सांप, बिच्छु आदि का भी भय रहता है।

इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए प्रदेष के ग्रामीण क्षेत्रों में मर्यादा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप देने हेतु प्रदेष के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, षिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक स्वस्थ्य

यांत्रिकी विभाग, आदि के सहयोग से विष्व हाथ धुलाई अभियान को व्यापक स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

इस अभियान का उद्देष्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाकर इसे जन आंदोलन बनाना है। अतः प्रदेष की समस्त शालाओं में पेयजल, हाथ धुलाई हेतु प्लेटफार्म, शौचालय, स्वचछता किट आदि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस दौरान खुले में शौच से मुक्त हुए गांवों एवं श्रेष्ठ कार्य करने वालों को पुरस्कार एवं प्रषक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह अभियान 25 सितम्बर से प्रारंभ हो चुका है, जो 19 नवंबर 2014 तक चलेगा।

इस तरह धोयें जाएंगे हाथ!

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हेतु हाथ धुलाई का कार्य निष्चित एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाएगा। इसके लिए हाथ धोने वालों के लिए साबुन, पानी, बाल्टी, मग्गे की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक प्रतिभागी के हाथ धोने के बाद उसे पोछने एवं सुखाने के लिए मोटा नेपकीन पेपर होना जरूरी है। संकेत दिए जाने पर सभी भागीदारी नीचे दिए गए चरणों का पालन करेंगेः–

- सबसे पहले अपने हाथों को गीला करें।
- साबुन की टिकिया को अपनी हथेलियों पर अच्छी तरह रगड़े या एक सिक्के के बराबर मात्रा में तरल साबुन (लिक्विड सोप) हाथों में लें।
- साबुन का अच्छी तरह झाग बनाएं और कम से कम 30 सेकंड तक हाथ को रगड़ें।
- हाथ धोने में पांच चरणों का पालन करें – हथेलियों का रगड़े, उंगलिया के बीच में, नाखूनों को भीतर, अंगूंठे के आसपास और कलाइयों को अच्छी तरह साफ करें।
- अब हाथों के साबुन को अच्छी तरह पानी से धो लें।
- हाथों को तीन बार झटके और मोटे पेपर नेपकिन से हाथों को अच्छी तरह सुखा लें।

जन–जन तक पहुंचेगा हाथ धुलाई का संदेष

भोपाल। सरकार द्वारा हाथ धुलाई अभियान को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और उसके लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख है हाथ धुलाई का संदेष जन–जन तक पहुंचाना। इससे स्वच्छता के मुद्दे पर वातावरण बनेंगा और लोग स्वच्छता को अपनाने की दिषा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए सरकार विषेष प्रयास कर रही हैं। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों में विष्व हाथ धुलाई दिवस के बारे में स्वच्छता संबंधी बैनर व पोस्टर लगाकर जानकारी दी जा रही है। ग्राम पंचायतों को इस विषय पर गाने एवं फिल्म उपलब्ध करवाई जा रही है तथा स्कूलों में स्वच्छता रैली का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस संदर्भ में मध्यप्रदेष के मुख्यमंत्री द्वारा एक विषेष संदेष ग्राम पंचायतों को भेजा जाएगा। 2 अक्टूबर की ग्रामसभा में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई, वहीं घर–घर शौचालय को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया।

हाथ धुलाई की होगी रिकॉर्डिग

15 अक्टूबर को होने जा रहे हाथ धुलाई कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तथा फोटोग्राफ लिए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए यह रिकॉर्डिंग जरूरी मानी गई है। इसके लिए रिकॉर्डिंग स्थल पर विषेष व्यवस्था की गई हैः–

- हाथ धुलाई के लिए जहां रिकॉर्डिंग होगी उस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। यानी वहां भागीदारों, प्रबंधक, गवाह, वीडिया ग्राफर, फोटोग्राफर एवं वालेंटियर्स के अलावा कोई अन्य व्यक्ति प्रवेष नहीं करेंगे।
- यदि हाथ धुलाई खुले मैदान में की जा रही है तो वहां तार फेंसिग या रस्सी बांधकर अन्य लोगों के आने–जाने पर रोक लगाई जाएगी।
- प्रतिभागियों की संख्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा पूर्व अनुमोदित विधि अनुसार रखी जाएगी। प्रतिभागियों की फिर से गिनती नहीं करना पड़े, इसका विषेष ध्यान रखा जाएगा। यह जिम्मेदारी प्रबंधक / षिक्षक की होगी।
- हाथ धोने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना कांट–छांट के सील किया जाएगा।
- वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही अच्छी क्वालिटी की कम से कम दो फोटो भी इसके साथ रखी जाएगी।
- कार्यक्रम के बाद प्रत्येक स्थान के गवाह के बयान और अन्य सभी सबूतों को मुख्य आयोजक के पास भेजा जाएगा।

हर घर शौचालय को जन आंदोलन बनाने की जरूरत

महात्मा गांधी ने कहा था ‘‘स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक आवष्यक है।’’ अब इसे जमीनी स्तर पर लागू करना होगा।

आशीष विष्वास

21 वी सदी का पहला दषक अपने अन्तिम पड़ाव पर है। सारी दुनिया में तकनीकी का बोलबाला है। तकनीक के कारण यह कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया एक गांव में बदल चुकी है। विष्व में मानव अधिकारों की हर जगह चर्चा हो रही है तथा इस बात को मान्यता मिल चुकी है कि मानवीय गरिमा के साथ जीना हर मानव का अधिकार है। ऐसे समय मे भारत में मैला ढोने प्रथा का जारी रहना देष की सभ्यता व तरक्की पर एक बदनुमा दाग की तरह है। एक व्यक्ति का मल दूसरे व्यक्ति द्वारा उठाया जाना मानव अधिकारों का हनन भी है।

हालांकि देष में मैला ढोने की प्रथा वर्ष 1993 से ही कानून द्वारा प्रतिबंधित है। पिछले साल भारत सरकार द्वारा एक और कानून बनाकर इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने तथा इस काम में लगे लोगों के पुनर्वास के विषेष प्रावधान किए हैं। इसके बावजूद आज भी देष के कई हिस्से में यह प्रथा जारी है। उल्लेखनीय है कि मैला ढोने की प्रथा में लगे लोगों में 98 प्रतिषत महिलाएं शामिल है।

यह सच है कि ग्रामीण इलाको में खुले में शौच करने की परम्परा बहुत पहले से रही है और इस व्यवहार को सामाजिक मान्यता भी मिली हुई है। यद्यपि खुले मे मल त्याग करने की कोई कीमत नहीं लगती है और कोई टोकता भी नही है। किन्तु अब घनी आबादी वाले गांवो मे खुली एवं सुविधाजनक जगह एवं गोपनीयता का अभाव, साफ दिखने लगा है।

अगर इतनी बड़ी आबादी के पास व्यक्तिगत् शौचालय नही हैं तो यह सब लोटा लेकर कहां जा रहे है – जवाब कि परम्परागत् जल स्रोतो के आसपास, नदी, तालाब, नाला, खाल, पोखर, खेतों, पगडंडियो, आम रास्तों, जगल व सरकारी भवनों के आस–पास! और इनमें से अगर कोई जगह नही हैं तो स्वयं के घरो के आगे पीछे नजदीक ही बैठ जाते हैं।

आज शौचालय की आवष्यकता केवल व्यक्तिगत् परिवारों को ही नहीं, बल्कि स्कूलों मे भी है। क्योंकि शौचालय के अभाव मे बच्चों को पूरे समय तक स्कूल में रोके रखना रखना मुष्किल है, खासकर जब बालिकाएं हों। क्योंकि लड़कियों की शारीरिक अवस्था मे एक समय के बाद परिवर्तन होता है और ग्रामीण भारत की कई बालिकाएं स्कूल मे शौचालय नहीं होने के कारण पढ़ाई अधूरी छोड़ देती है।

अतः आज गांव स्तर पर स्थापित सरकारी भवनों – जैसे आंगनबाड़ी, स्कूल, पंचायत भवन आदि में शौचालय होना बहुत जरूरी है। उल्लेखनीय है कि देष में सरकारी भवनों की संख्या लाखों में है, और वहां आने वाले बालक–बालिकाओं एवं लोगों की संख्या करोड़ों में हैं। आने वाली भावी पीढ़ी यहां षिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण व स्वच्छता षिक्षा प्राप्त कर रही है। ऐसे में बगैर शौचालय के हम उन्हें क्या षिक्षा दे पाएंगे?

आज रास्ते में चलते हुए ही पता चल जाता है कि कुछ दूर बाद कोई गांव आने वाला है। क्योंकि उस गांव के रास्ते पर खुले में शौच के कारण जो गंदगी फैलती है, उसका असर दूर–दूर तक पड़ता है। आम रास्ता पूरी तरह गन्दगी से सना हुआ होता है, जो कई गंभीर बीमारियां पैदा करता है। उस रास्ते से गुजरना भी बहुत मुष्किल होता है।

आज आकाष की ऊंचाई नापने की बात हो या आसमान छूने की बात, भारतवासी कभी भी पीछे नहीं रहे। वतर्मान मे दूरसंचार मोबाइल क्रान्ति ने गाँव–गाँव और घर–घर में अपनी पहुँच बना ली है। कृषक, मजदूर, रिक्षा चालक, किसान, दूध सब्जी बेचने वालों से लेकर समाज के हर तबके ने इस सुविधा को महत्वपूर्ण माना और मोबाइल का जीवन पर जादू चल गया है।

जहाँ एक तरफ मोबाइल क्रान्ति की महिमा है, वहीं दूसरी और यह बात ठीक शौचालय पर भी लागू होती है। लेकिन स्वच्छता क्रान्ति यानि एक परिवार – एक शौचालय भी भारत की आबादी में देखने को नही मिलेगा। जबकि मोबाइल आबादी से भी ज्यादा मिल जाएंगे। यह एक सच्चाई है कि आज भी ग्रामीण भारत मे शौच के लिये लोटा लेकर जाते हुए महिला, पुरूष, बच्चे, बुजुर्ग मिल जाएंगे और दूसरे हाथ मे मोबाइल! कैसी विडंबना है कि गांव की यह आबादी क्यों नही समझ रही है कि हम क्या कर रहे हैं और इसके परिणाम आने वाले समय मे क्या होंगे जो सभी को समान रूप से भुगतने पड़ेंगे?

यहां सवाल यह है कि आखिर सरकार शौचालय को अनिवार्य क्यों नही कर रही है? शौचालय नहीं होने से सबसे ज्यादा परेषानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। उन्हें दिन शुरू होने से पहले व दिन छुपने तक का इन्तजार करना पड़ता है। एक तरफ सरकार महिला सषक्तीकरण के लिये पंचायत राज में 50 प्रतिषत आरक्षण देकर स्थानीय स्वषासन में महिलाओं को भागीदारी बढ़ा रही है, वहीं दूसरी और वही महिला लोटा लेकर सुबह जंगल मे जा रही और सारा गांव देख रहा है। जबकि आज गोपनीयता का अभाव हो गया और अब गांवों में जंगल, पेड़, झाड़ियां भी खत्म हो गयी है। बैठने की जगह भी नही रही, आम रास्तों पर बैठना मजबूरी बन गया है।

निर्मल भारत अभियान के बाद यह आषा बंधी है कि अब देष बदलेगा। योजनाओं का असर होगा और हर घर शौचालय का सपना पूरा होगा। किन्तु इसके लिए सिर्फ सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि देष के हर तबके और हर व्यक्ति को आगे आना होगा और खुले में शौच से मुक्ति को एक आंदोलन का रूप देना होगा।

आंकड़े क्या कहते हैं?

आंकडे सिर्फ संख्या या गिनती नहीं होते, बल्कि उनके कई मतलब भी होते हैं। जब हम भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कई ऐसे आंकड़े सामने आते हैं, जो हमें आश्चर्यजनक लग सकते हैं, किन्तु ये आंकड़े आगे के लिए योजना बनाने और काम की दिशा भी तय करते हैं। यहां प्रस्तुत है स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी कुछ आंकड़े ।

भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सच्चाई

- 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छता कवरेज 46.9 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज सिर्फ 30.7 प्रतिशत है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शौचालय से अधिक मोबाइल फोन है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के

अनुसार देश में वर्तमान में 92 करोड़ 90 लाख से अधिक मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं। दूसरों शब्दों में 300 मिलियन भारतीय मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं लेकिन शौचालय का नहीं।

- विकसित स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाले लोगों के प्रतिशत के मामले में पाकिस्तानए बांग्लादेशए श्रीलंका और भूटान जैसे देश भारत से आगे हैं।
- जब ग्रामीण और शहरी प्रतिशत आबादी में विकसित शौचालय सुविधा के उपयोग की बात आती है तो भारत पूरे दक्षिण एशिया में आखिरी स्थान पर आता है।
- भारत के 1.2 अरब लोगों की आबादी में से लगभग आधे घरों में कोई शौचालय नहीं है। अनुसूचित जाति के लगभग 77 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 84 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं है।
- देश की 0.6 लाख गाँवों में से केवल 25 हजार गांव खुले में शौच की प्रथा से मुक्त हैं।
- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के उपयोग की दर 13.6 प्रतिशत राजस्थान में 20 प्रतिशत बिहार में 18.6 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 22 प्रतिशत है।
- भारत की जनगणना 2011 बताती है कि भारत में मैला ढोने की अमानवीय प्रथा अभी भी जारी है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी भी देश में 7 लाख 94 हजार 390 शुष्क शौचालय हैं जहां मानव मल मनुष्यों द्वारा साफ किया जाता है। इनमें से 73 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 27 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में है। इसके अलावा 13 लाख 14 हजार 652 शौचालय हैं जहां मानव मल नालियों में बहता है। इस तरहए देश में कुल 26 लाख से अधिक शुष्क शौचालय हैं जहां मैला ढोने की प्रथा अभी भी जारी है।
- शौचालयों की कमी के कारण महिलाओं को अधिक गंभीर रूप से सांस्कृतिक वर्जना झेलनी पड़ती है। वे दिन में खुले में शौच के लिए नहीं जा सकती हैं। शौचालय के अभाव में लाखों महिलाएं सुबह और शाम के बीच शौच न जाने को मजबूर होती हैं।
- देश में कुल आबादी का लगभग 2.1 प्रतिशत यानी 2 करोड़ 10 लाख व्यक्ति विकलांगता के साथ जी रहे हैं। इसमें अस्थाई रूप से विकलांग और बुजुर्ग भी शामिल हैं। 2020 में विकलांगता के साथ जी रहे लोगों की कुल जनसंख्या 7 करोड़ होने का अनुमान है जिनमें 17 करोड़ 70 लाख बुजुर्ग होने का अनुमान है जिनमें से अधिकांश बहु विकलांगता की स्थिति में होंगे।
- विकलांगता के साथ जीने वालों के लिए उनकी शारीरिक बाधाओं के कारण सामान्य बुनियादी ढांचे का उपयोग करना या शौच के लिए बाहर जाना मुश्किल होता है।
- ग्रामीण और शहरी इलाकों में विकलांगता के साथ जीने वालों के लिए सार्वजनिक शौचालय कम हैं और दूर हैं। यहां तक कि स्कूलों में भी आश्चर्यजनक ढंग से उनके लिए कोई

प्रावधान नहीं है। विकलांगों के लिए सुलभ शौचालय मानकों का प्रावधान किसी राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय नीतियों में निर्दिष्ट नहीं हैं।

- जन स्वास्थ्य एसोसिएशन के अनुसारए केवल 53 प्रतिशत भारतीय शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं, केवल 38 फीसदी खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं और केवल 30 फीसदी लोग खाना पकाने के पहले साबुन से हाथ धोते हैं।
- केवल 11 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण परिवारों में बच्चे के मल का निपटान सुरक्षित रूप से होता है। 80 प्रतिशत बच्चों के मल को खुले में छोड़ दिया जाता है या कचरे में फेंक दिया जाता है।
- साबुन से हाथ धोना विशेष रूप से मलमूत्र के संपर्क के बादए डायरिया के मामलों को 40 प्रतिशत और श्वसन संक्रमण को 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी स्वच्छ भारत मिशन को मंजूरी

2 अक्टूबर से देश में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर 2014 को शहरी इलाकों के लिए स्वच्छ भारत मिशन को मंजूरी दी। मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हो चुकी है और यह पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन को देश के 4041 से अधिक वैधानिक कस्बों में लागू किया जाएगा और इस पर 62009 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसमें से 14623 करोड़ रुपये का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। यह मिशन स्वच्छ भारत अभियान का शहरी घटक है और इसे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय लागू करेगा। मिशन का ग्रामीण घटक केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।

इस मिशन के माध्यम से खुले में शौच से मुक्ति, मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति, शौचालय निर्माण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कचरे का समाप्त करने का काम विशेष रूप से किया जाएगा। इस अभियान में सभी 4041 से अधिक वैधानिक कस्बों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय समुदाय और सार्वजनिक शौचालय और नागरिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत 1.04 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा। सामुदायिक शौचालयों के लिए 2.5 लाख सीटें तथा सार्वजनिक शौचालयों के लिए 2.6 लाख शौचालय सीटे आवंटित की जाएगी। साथ ही सभी शहरों को कचरा साफ करने की सुविधा दी जाएगी।

इस मिशन का उद्देश्य जनता में स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के बारे में उनकी मानसिकता को बदलना और स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य से इसके संबंधों के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करना है। साथ ही स्थानीय शहरी निकायों को डिजाइन निष्पादन और परिचालन प्रणाली बनाने

के लिए मजबूत बनाना और पूंजीगत खर्च एवं परिचालन खर्च में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सही माहौल बनाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। स्वच्छ भारत अभियान की योजना का उल्लेख केंद्रीय बजट 2014-15 में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई 2014 को की थी। इस योजना का प्रस्ताव पेयजल एवं स्वच्छता योजना के तहत केंद्रीय बजट में किया गया था। प्रस्ताव के मुताबिक वर्ष 2019 तक प्रत्येक घर को स्वच्छता सुविधा के तहत कवर किया जाएगा।

आलेख

स्वच्छता अभियान के साथ कचरा प्रबंधन भी जरूरी है

जावेद अनीस

हमें साफ-सफाई और इस काम में लगे लोगों के प्रति अपने नजरिए में बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि हाथ से मल उठाने की प्रथा पर रोक लगाए और उसके लिए बने कानून को कड़ाई से लागू करें। समाज के स्तर पर भी हमें सफाई का काम जाति नहीं, बल्कि पेशा के आधार पर स्थापित करने पर जोर देना होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर वह देशवासियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। शपथ के दौरान उन्होंने गांधी जी को याद किया। गांधी जी का सफाई पर बहुत जोर था वह इसके लिए किसी का इंतजार नहीं करते थे बल्कि खुद साफ-सफाई के काम में जुट जाते थे। सफाई से उनका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि कचरा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए। बल्कि उनके लिए सफाई का अर्थ कचरे का निपटान और उसका सही उपयोग था।

लेकिन इसके विपरीत हमारा व्यवहार जुदा है, हमारे समाज में सफाई के काम को कमतर समझा जाता है और हम सफाई करने वालों को नीची नजरों से देखते हैं। हमारे यहां मैला ही नहीं मल भी दूसरे हाथों से उठवाने की प्रथा चल रही है। हम में से ज्यादातर अभी भी इसे जातिगत पेशा मानते हैंए एक ऐसा पेशा जो सिर्फ तथाकथित निचली जातियां ही कर सकती हैं।

वैसे तो हमारा संविधान छुआछूत के नाम से पहचाने जाने वाले जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाता है और पिछले साल भारत की संसद ने भी हाथ से मल उठाने की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करते हुए ष्हाथ से मल उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम (2013 अधिनियम) को लागू किया है।

लेकिन पिछले महीने ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा जारी की गई रिपोर्ट- ष्मानव बल की सफाई, हाथ से मल उठाने की प्रथा जाति और भारत में भेदभाव कुछ अलग ही कहानी बयान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार हाथ से मल उठाने का काम करने वालों को यह काम छोड़ने पर उनके साथ हिंसाए उनका सामाजिकए आर्थिक बहिष्कार किया जाता है और अपने स्थान से बेदखली की धमकी दी जाती है।

रिपोर्ट के अनुसार भेद-भाव के इस अपराध में अक्सर अधिकारी और विभाग भी शामिल होते हैं, जैसे ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा खुले मलोत्सर्ग क्षेत्रों की साफ-सफाई के लिए जाति के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। स्पष्ट है कि इस काम को करने वाले लोगों को अपने जीवन के अन्य पहलुओं में भेदभाव का सामना भी करना पड़ता हैए जिनमें शिक्षाएं सामुदायिक जल स्रोत तथा रोजगार के लाभ तक पहुँच शामिल है।

दूसरी तरफ हम बिना किसी झिझक के अपना कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, हम अपनी खिड़कियों से कचरा इस भाव से फेंकते हैं जैसे कि हमें अपने घर के अलावा किसी भी सावर्जनिक स्थान कि साफ-सफाई से कोई मतलब ही न हो। हमारे स्कूलों में भी बच्चों को सेनीटेशन को लेकर ज्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता है।

साफ सफाई के साथ कचरा निस्तारण का मसला भी जड़ा हुआ है। आज बढ़ते शहरीकरण की वजह से भारत जैसे विकासशील देशों में कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। देश में प्रतिदिन 1 लाख 60 हजार मिट्रिक टन कचरे की पैदावार होती है। राजधानी दिल्ली में 1950 से लेकर आज तक 12 बड़े कचरे के ढेर बनाये जा चुके हैं जो कि सात मंजिल तक ऊँचे हैंए मुंबई का सबसे बड़ा कचरा संग्रह 110 हेक्टेयर में फैला देवनार कचरा स्थल है। यहाँ पर 92 लाख टन कचरे का ढेर लग चूका है। यही हाल अन्य महानगरों और शहरों का भी है।

शहरों के बढ़ते फैलाव को देखते हुए सफाई अभियान के साथ-साथ ठोस कचरा प्रबंधन की भी बहुत जरूरत है, इसके अलावा कचरा उठाने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां कचरों को समय पर उठाव एवं ढुलाई करने में अक्षम साबित हो रही हैं। उनके पास इसके लिए जरूरी उपकरणों जमीनए निष्पादन से जुड़ी मशीनों का अभाव है, इन जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है साथ ही साथ नगरीय निकायों को अपने तौर तरीकों में सुधार लाना होगा।

इस मुहिम को प्राइवेट से ज्यादा पब्लिक बनाने की जरूरत है, विशाल देशी-विदेशी फर्मो को तरजीह देने की जगह कचरा चुनने वालोंए कबाड़ के काम में लगे लोगों तथा इसको व्यवसाय के रूप में अपनाने को इच्छुक व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए इससे संबंधित जरूरी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे खुद या समूह बना कर इस प्रक्रिया में सहयोग कर सकें। इससे स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की भागीदारी तो होगी ही साथ में उन्हें प्रोफेशनल तरीके से आमदनी का नया जरिया भी मिलेगा।

लेकिन इनमें सबसे ज्यादा हमें साफ-सफाई और इस काम में लगे लोगों के प्रति अपने नज़रिए में बदलाव की जरूरत है, सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि हाथ से मल उठाने की प्रथा पर रोक लगाए और इसके लिए बने कानून को कड़ाई से लागू करें।